पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 फरवरी, 2013 ई0 (माघ 27, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	53–61	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	49–56	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

General Administration Department

NOTIFICATION

January 09, 2013

No. 140/xxxi(13)G/2012--44(G)/2012--Vide Notification No. 1432/xxxi(13)G/2012--44(G)/2012, dated May 10, 2012, a One man Commission of Inquiry was constituted to inquire into the matters related to land concessions with respect to M/S Citurgia Biochemical Ltd. Rishikesh etc ;

WHEREAS a report in 'Tehlka' magazine (vol. 9 issue no 19 dated May 12, 2012) has alleged illegal and benami land sales in the revenue villages inside Corbett Tiger Reserve and encroachment in Corbett Tiger reserve. In the above stated report it has been stated that encroachment of peripheral forest land and blocking of wild animals acces to water bodies and adjoining forest is causing serious damage to Tiger Reserve which has highest density of Tigers in the world. A two member Committee appointed by the Ministry of Environment & Forests has recommended investigation in the benami land sales and encroachment of land ;

AND, WHEREAS the Government is of the opinion that it is necessary to inquire into the allegation made in the report of 'Tehlka' magazine (vol 9 issue no 19 dated May 12, 2012) and take appropriate action against the offender ;

NOW, THEREFORE in continuation of the Notification dated 10th May, 2012 the Governor is pleased to refer the matter relating to above stated report of 'Tehlka' magazine to the Commission of Inquiry chaired by Shri K.R. Bhati. The term of reference with respect to the matter reported in 'Tehlka' magazine shall be as follows :--

(i) Whether there are any encroachments in the Tiger reserve and illegal or benami sale of land of Corbett Tiger reserve or of the villages inside the reserve has been made ?

(ii) Who are the persons encroaching the land of Corbett Tiger reserve and the extent of encroachment made by them. Who are the persons making illegal or benami sale of land in villages inside the Corbett Tiger reserve.

(iii) Whether omissions or commissions, if any, were committed or abetted by any person or persons having official authority or by any other person or institutions or organizations which caused loss to the Corbett Tiger Reserve.

(iv) Whether violation of Rules/Laws, if any, were committed in respect of above matters.

(v) For what purpose and in whose interest and under whose directions, if any, such omissions and commissions took place.

ALOK KUMAR JAIN,
Chief Secretary.

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

17 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 49 / XVII–2 / 2013–19(07) / 2012–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 } अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में निम्नलिखित संशोधन करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधित समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में प्रविष्टि–84 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :–

85–जिला देहरादून, विकासखण्ड, विकासनगर के छः राजस्व ग्राम मटोगी, मदरसू, भलेर, पपड़ियान, बावनधार तथा पस्टा में निवासरत बिन्हारी समुदाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर)।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 49/XVII--2/2013--19(07)/2012**, dated January 17, 2013 for general information :

NOTIFICATION

January 17, 2013

No. 49/XVII--2/2013--19(07)/2012--In exercise of the power conferred by section 13 of the Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994} Adaptation and Modification Order, 2001, the Governor is pleased to accord sanction to amend Schedule-1 of said Act with be deemed amended form the date of publication of this notification as follows :--

Amendment

On Schedule 1 of the said Act, after entry 84, the following entry shall be added, namely :--

"85 Binhari community (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes) of six revenue villages Matogi, Mothersu, Bhaler, Papadiyan, Bawandhar and Pasta of Development Block Vikasnagar District Dehradun."

By Order,

S. RAJU,
Principal Secretary.

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

प्रोन्नति

18 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 106/XIII-I/2013–3(2)2003–उत्तराखण्ड कृषि सेवा में अपर कृषि निदेशक के पद पर तैनात अधिकारी श्री चन्दन सिंह मेहरा की अपर कृषि निदेशक के पद पर कृषि निदेशालय में रिक्त चल रहे पद के सापेक्ष नियमानुसार प्रोन्नति द्वारा तैनाती के संदर्भ में दिनांक 7.01.2013 को आयोजित विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, श्री चन्दन सिंह मेहरा को अपर कृषि निदेशक के संवर्गीय पद पर वेतनमान ₹ 14,300–18,000 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700) में वर्ष 2005–06 से नोशनल रूप से पदोन्नति किये जाने की अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

पदोन्नति

23 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 05/XXVIII–2/01(76)2006–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक (वेतनमान, वेतन बैण्ड–4, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000) के पद पर कार्यरत डा0 राकेश कुमार पन्त को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर वेतनमान, वेतन बैण्ड–4, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 12,000, पुनरीक्षित वेतनमान HAG ₹ 67,000 (3% वार्षिक वेतन वृद्धि) ₹ 79,000 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

पदोन्नति

23 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 31/XXVIII–2/01(92)2006–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत अपर निदेशक (वेतनमान, वेतन बैण्ड–4, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900) के पद पर कार्यरत डा0 भुवन चन्द्र पाठक को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निदेशक, के पद पर वेतनमान, वेतन बैण्ड–4, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000, में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. डा0 भुवन चन्द्र पाठक की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,

प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

09 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 23/XXX–1–2012–32(1)/2007–अवर सचिव (FSP), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या Q/PA-1/575/10/2007, दिनांक 20.12.2012 के क्रम में श्री विनोद फोनिया (IFS :1986) की उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 28.02.2013 से 27.02.2015 तक विस्तारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1

अधिसूचना

09 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 25/xxxii/2013–01(दो)(49)/2012–शासनादेश संख्या 298/xxxii/2010, दिनांक 12 मार्च, 2010, जिसके द्वारा नैनीताल स्थित ओकपार्क के अन्तर्गत राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वामित्व वाली 860 वर्ग मीटर भूमि वन

विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया था, को निरस्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नैनीताल स्थित ओकपार्क में बैरक, 1सी एवं 2सी की भूमि एवं भवनों, जिसका कुल क्षेत्रफल 4843.49 वर्ग मीटर, को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

सिंचाई विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 107/II–2013–12/1(06)/2012–टिहरी जलाशय की परिधि पर आर0 एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित कुछ ग्रामों में जल भराव के कारण भू–स्खलन के दृष्टिगत तथा भविष्य में इससे अधिक स्थानों पर भू–स्खलन होने की संभावना के मध्यनजर इन ग्रामों के प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सम्पार्श्विक क्षति नीति, 2013 नियमानुसार प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. पृष्ठभूमि–

टिहरी बांध जलाशय का पूर्ण जल स्तर 830 मी0 एवं अधिकतम जल स्तर 835 मी0 है। आर0एल0 835 मी0 तक स्थित ग्रामों में निवासरत परिवारों को टिहरी बांध पुनर्वास नीति के अन्तर्गत या तो पुनर्वासित कर दिया गया है अथवा उनको नकद प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। यह देखने में आया है कि टिहरी जलाशय की परिधि पर आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित कुछ ग्रामों में जल भराव के कारण भू–स्खलन हुआ है तथा भविष्य में इससे अधिक स्थानों पर भू–स्खलन होने की सम्भावना के दृष्टिगत इन ग्रामों के प्रभावित परिवारों द्वारा प्रतिकर और उनके पुनर्वास की मांग टिहरी बांध नीति के अनुसार की जा रही है जनता की मांग को मध्यनजर रखते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य उन ग्रामों/स्थानों का पता करना था, जहां पर टिहरी बांध जलाशय में जल भराव के कारण भू–स्खलन की संभावना अधिक थी। जी0एस0आई0 विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 2008 में किये गये भू–सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम नकोट, स्यासूं तथा रोलाकोट का पुनर्वास शीघ्र करने की संस्तुति की थी। दिनांक 27.03.2009 को सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक अर्न्तविभागीय समिति प्रभावित ग्रामों/क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी व अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी तथा साथ ही टिहरी बांध पुनर्वास नीति, एन0आर0आर0पी0, उत्तराखण्ड सरकार के आपदा प्रबन्धन नीति का एक तुलनात्मक अध्ययन करेगी तथा सम्पार्श्विक क्षति के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु एक उपयुक्त एवं व्यवहारिक नीति तैयार करेगी।

वर्ष 2010 में वर्षा ऋतु में भारी वर्षा के कारण टिहरी बांध का जलाशय का स्तर पूर्ण जलाशय स्तर से ऊपर पहुंच गया था, जिसके कारण टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर कुछ स्थानों पर सम्पार्श्विक क्षति हुयी। इस क्षति का निरीक्षण करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गयी है। सम्पार्श्विक क्षति के कारण लगभग 104 प्रभावित परिवारों को अन्यत्र स्थानों पर पुनर्वासित किया जाना है।

दिनांक 19.10.2010 को सम्पन्न हुई समन्वय उपसमिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पुनर्वास निदेशक द्वारा सम्पार्श्विक क्षति की गाईड लाईन बनाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया गया–

1. अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास) टिहरी बांध परियोजना।

2. मुख्य महा प्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0 का प्रतिनिधि (अपर महाप्रबन्धक स्तर)।

3. अधिशासी अभियन्ता, टिहरी बांध, खण्ड–22, टिहरी।

4. परगना अधिकारी, टिहरी।

5. श्री डी0के0 गुप्ता, सलाहकार, टी0एच.डी0सी0इं0लि0।

उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर टिहरी बांध पुनर्वास नीति और पैकेज के अतिरिक्त आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित आबादी/ग्रामों के पुनर्वास हेतु पृथक सम्पार्श्विक क्षति नीति निम्न प्रकार हैं:–

(अ) सामान्य–

1. यह नीति केवल उन्हीं ग्रामों/क्षेत्रों (स्यासूं, नकोट एवं रौलाकोट को छोड़कर) पर लागू होगी, जो टिहरी जलाशय के चारों ओर भिलंगना एवं भागीरथी घाटी पर आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित है और क्षति केवल जलाशय में जल के उतार–चढ़ाव के कारण हुई है।

2. विशेषज्ञ समिति, जो कि एक स्थाई समिति के रूप में बनाई जायेगी, में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे तथा समिति यह सत्यापित करेगी कि क्षति जलाशय में जल भराव–उतार के कारण हुई है अथवा वर्षा/प्राकृतिक आपदा से।

I. भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि,

II. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि,

III. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि,

IV. भूगर्भीय एवं खनन विभाग का प्रतिनिधि,

V. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि,

VI. आई0आई0टी0, रुड़की का प्रतिनिधि,

VII. उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र का प्रतिनिधि,

VIII. पुनर्वास निदेशक का प्रतिनिधि (सदस्य सचिव),

IX. टी0एच0डी0सी0इं0लि0 का प्रतिनिधि,

X. सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायक।

उक्त समिति के द्वारा सत्यापन के उपरान्त प्रतिकर के भुगतान हेतु पुनर्वास निदेशक के द्वारा नीति के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

3. इस नीति के अन्तर्गत संस्तुत प्रकरणों पर पुनर्वास निदेशालय से मांग प्राप्त होने पर सचिव, ऊर्जा, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2011 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत सम्पार्श्विक क्षति नीति के अनुसार मुआवजा भुगतान करने हेतु टी0एच0डी0सी0इं0लि0 द्वारा धन उपलबध कराया जायेगा।

4. यह नीति निजी सम्पत्ति, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों पर लागू होगी।

5. यह नीति केवल उन्हीं भूमि/भवन/दुकानों के मालिकों पर लागू होगी जिनका नाम दिनांक 26.04.2007 से पहले राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो अर्थात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जी0एस0आई0 विशेषज्ञ समिति के गठन की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले हो।

(ब) प्रतिकर–

1. भूमि–

यदि भूमि की क्षति सम्पूर्ण भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक है तथा भूमि आर0एल0 835 मी0 पर अथवा आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित है, तो इस स्थिति में 02 एकड़ विकसित भूमि जनपद हरिद्वार एवं देहरादून आदि स्थानों पर आवंटित की जायेगी। यदि भूमि 02 एकड़ से अधिक है, तो 02 एकड़ से अधिक भूमि का नकद, प्रतिकर भुगतान किया जायेगा। क्षतिग्रस्त भूमि परियोजना के नाम दर्ज की जायेगी। यदि भूमि प्रभावित परिवारों को स्वीकार्य नहीं है, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार नकद प्रतिकर भुगतान किया जायेगा। पात्रता मानक के अनुसार केवल वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी भूमि उनके नाम दिनांक 26.04.2007 से पहले दर्ज हो एवं प्रभावित भूमि कुल भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक हो। यदि क्षतिग्रस्त भूमि आर0एल0 835 मी0 से नीचे की सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित करते हुये 50 प्रतिशत से कम है, तो इस दशा में पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नकद प्रतिकर का भुगतान वर्तमान में प्रचलित स्वीकृत दर के अनुसार किया जायेगा।

2. भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का प्रतिकर–

(अ) क्षतिग्रस्त भवनों के प्रतिकर का भुगतान इस शर्त के साथ लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन मानक के अनुसार किया जायेगा कि क्षतिग्रस्त भवन को पूर्ण रूप से गिरा दिया जायेगा।

(ब) 200 वर्ग मीटर विकसित भूखण्ड पात्र विस्थापित को जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में उपलब्ध भूमि में आवंटित किया जायेगा।

(स) ₹ 60,000 (रुपये साठ हजार मात्र), भवन निर्माण सहायता के रूप में जो कि उपरोक्त प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(द) अन्य परिसम्पत्तियां, जैसे पशुशाला, वृक्ष, अनाज इत्यादि का भुगतान लोक निर्माण विभाग/बागवानी विभाग/वन विभाग के मूल्यांकन मानकों के अनुसार किया जायेगा।

3. अन्य अनुदान/भत्ते–

(अ) नये स्थान पर बसने/व्यवस्थित होने हेतु ₹ 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) प्रति परिवार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(ब) प्रभावित परिवारों को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने की स्थिति में प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹ 10,000 (रुपये दस हजार) स्थानान्तरण भत्ते के रूप में भुगतान किया जायेगा।

4. रोजगार क्षति का प्रतिकर–

समिति ने महसूस किया कि प्रभावित परिवारों के नये स्थान पर विस्थापित होने तक इनके जीविकोपार्जन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रत्येक प्रभावित परिवार को जीविकोपार्जन हेतु न्यूनतम 25 दिन की कृषि मजदूरी के बराबर एक वर्ष तक भुगतान किया जायेगा।

5. सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति का प्रतिकर–

सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति का प्रतिकर लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन मानक के अनुसार किया जायेगा।

6. जलाशय के चारों तरफ जान–माल की सुरक्षा–

टिहरी बांध जलाशय की परिधि के चारों तरफ जनसंख्या का काफी घनत्व है। सम्पार्श्विक क्षति प्रकोष्ठ द्वारा टिहरी बांध जलाशय के चारों तरफ जान–माल की सुरक्षा हेतु उचित उपाय करने की संस्तुति की गयी है।

7. अस्थाई शरणगाह का निर्माण–

समिति द्वारा महसूस किया गया कि वर्षा ऋतु अथवा अन्य कारणों से परिवारों को तुरन्त अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरित करने की सम्भावना है। अतः भिलंगना तथा भागीरथी घाटी में कुछ अस्थाई आवासों का निर्माण किया जाना चाहिये। अस्थाई आवास का निर्माण स्कूल/अस्पताल के समीप किया जाना चाहिये, ताकि इनका उपयोग बाद में भी किया जा सके। अस्थाई आवासों का स्थान निर्धारण व इनकी संख्या के सम्बन्ध में सम्पार्श्विक क्षति प्रकोष्ठ द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

8. आवश्यक नियम एवं शर्तें–

(1) विकसित कृषि भू–खण्ड से आशय है कि उपलब्ध भूमि को समुचित समतलीकरण कर विकसित किया जायेगा एवं सिंचाई सुविधा हेतु गूलों का निर्माण किया जायेगा।

(2) विकसित आवासीय भूखण्ड भूमि का समतलीकरण एवं पहुंच मार्ग, पेयजल सुविधा एवं विद्युतीकरण सुविधा सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) वे परिवार, जो कि एक बार टिहरी बांध पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वासित हो चुके हैं, उन्हें सम्पार्श्विक क्षति नीति के अन्तर्गत पुनर्वास के लिये विचार नहीं किया जायेगा बल्कि आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थिति उनके भवनों, सम्पत्तियों का प्रतिकर दिया जायेगा और भूमि का मूल्य उनको पूर्व में आवंटित (02 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा 1/2 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में) के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

(4) यह नीति कोटेश्वर बांध जलाशय से हुयी/सम्भावित सम्पार्श्विक क्षति पर भी लागू होगी।

(5) नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

आज्ञा से,

सुबर्द्धन,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना
नोशनल प्रोन्नति

26 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 1267/XXVIII–2/01(150)2011–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी ग्रेड–एक (सामान्य उप संवर्ग) के पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को उनके कनिष्ठ चिकित्साधिकारी की, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उप संवर्ग) के पद पर प्रोन्नति की तिथि 04.04.2012 से, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उप संवर्ग), वेतनमान, वेतन बैण्ड 3, सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
1	2	3
1.	379	डा0 जगदीश चन्द्र जोशी
2.	457	डा0 गोविन्द बल्लभ पुनेठा
3.	468	डा0 मनीष कुमार अग्रवाल
4.	473	डा0 विनेश कुमार सक्सेना
5.	482	डा0 शिव मोहन शुक्ला
6.	483	डा0 अरविन्द कुमार मिश्रा
7.	493	डा0 अशोक कुमार सिंह
8.	503	डा0 हर्ष सिंह ऐरी
9.	504	डा0 मुकेश पाण्डे
10.	537	डा0 सुषमा जोशी (भट्ट)

1	2	3
11.	547	डा0 कनक बनौथा
12.	556	डा0 खेमपाल
13.	577	डा0 ओम प्रकाश
14.	585	डा0 भागेन्द्र सिंह रावत

2. उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से प्रोन्नत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उपसवंर्ग) को वेतन सम्बन्धी लाभ, उनकी वास्तविक पदोन्नति तिथि/उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु अन्य सेवा संबंध लाभ हेतु समयावधि की गणना दिनांक 04.04.2012 से की जायेगी।

3. पदोन्नत वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त पदोन्नति आदेश, रिट याचिका संख्या 336/2012, डा0 शिवमोहन शुक्ला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2012 एवं रिट याचिका संख्या 345/2012 डा0 खेमपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

अधिसूचना

पुनर्नियुक्ति

01 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 01/XXVIII–2/01(145)2011–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त निदेशक डा0 हरगोविन्द सिंह मनराल को स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग) के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए, बशर्ते कि यह व्यवस्था उक्त अवधि से पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दी जाए, पुनर्नियुक्ति पर नियोजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री मनराल को पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम आहरित वेतन ऋण पेंशन (राशिकरण के पूर्व) के आधार पर नियत वेतन देय होगा।
2. श्री मनराल की पुनर्नियुक्ति पर देय अन्य सुविधाओं के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–319/XXVII–7/2012, दिनांक 21.11.2012 के प्राविधान/शर्तें लागू होंगी।
3. श्री मनराल की पुनर्नियुक्ति हेतु प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग में चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप–संवर्ग) का 01 पद आस्थगित रखा जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें,पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, आयोजनागत 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–मुख्यालय अधिष्ठान, 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामें डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1129/XXVII(7)/2011–12, दिनांक 01.01.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

पीयूष सिंह,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/96–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 फरवरी, 2013 ई0 (माघ 27, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 02, 2013

No. 01 UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 10.12.2012 to 19.12.2012 with permission to prefix 08.12.2012 & 09.12.2012 as 2nd Saturday & Sunday holidays, for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
Registrar (Inspection).

January 03, 2013

No. 02/UHC/Admin.A/2013--In continuation to earlier Notification No. 291/UHC/Admin.A/2011 dated 23.12.2011, Sri Mithilesh Jha, who is presently posted as Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar will be deemed as notionally promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010 *w.e.f.* 03-07-2009.

January 03, 2013

No. 03/UHC/Admin.A./2013--On the basis of recommendations of Hon'ble Padmanabhan Pay Commission and in terms of G.O. No. 108/XXXVI(1)/2010-50/2009 dated 21.05.2010 issued by Government of Uttarakhand, the court has been pleased to grant 1st A.C.P. pay scale of ₹ 33,090-920-40,450-1,080-45,850 to the following Judicial Officer on completion of his five years of continuous services in Civil Judge (Jr. Div.) Cadre, from the date mentioned against his name.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of completion of 05 years of service	Date of A.C.P.
1.	Sri Mithilesh Jha	21.09.2008	22.09.2008

By Order of The Court,

Sd/-
RAM SINGH,
Registrar General.

कार्यालय, नियत प्राधिकारी/जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 363/पाँच–सीलिंग/2012–उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उ0प्र0अ0जो0 संख्या–01, 1961) की धारा 14 की उपधारा (4) के अनुसरण में, बृजेश कुमार सन्त, नियत प्राधिकारी/जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर, एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, 1961 सपठित उ0प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1975 तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, 1961 सपठित उ0प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1976 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है।

भूमि का विवरण

सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि

क्र0 सं0	खातेदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान	जिला	तहसील/परगना	गांव	खाता खतौनी संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल असिंचित (है0 में)	क्षेत्रफल सिंचित (है0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री हरवंश सिंह पुत्र श्री चढ़तसिंह, निवासी ग्राम गुलडिया, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर	उ0सिं0 नगर	बाजपुर/बाजपुर	गुलडिया	–	38 मध्ये	–	39 बीघा 18 विस्वा	
					योग	1	–	39 बीघा 18 विस्वा	

बृजेश कुमार सन्त,
नियत प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

19 जनवरी, 2012 ई0

पत्रांक 57/चार–49 (2012)–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा राज्य के तहसीलदारों हेतु दिनांक 24.09.2012 से 28.09.2012 की अवधि में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया,

विभागीय परीक्षा (तहसीलदार) 2012 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती जनपद	उत्तीर्ण किये गये प्रश्न–पत्र							
T-12-01	श्री नारायण सिंह जीना, तहसीलदार	डीडीहाट, पिथौरागढ़	–	–	–	–	–	–	ज	–
T-12-02	श्री प्रकाश शाह, तहसीलदार	थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	क	ख	ग	घ	–	छ	ज	झ
T-12-03	श्री माणिकलाल भेतवाल, तहसीलदार	लैन्सडौन पौड़ी गढ़वाल	क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ
T-12-04	सुश्री संगीता कनौजिया, तहसीलदार	देहरादून	–	ख	–	–	–	छ	–	–
T-12-06	श्री लोकमणि भट्ट, तहसीलदार	राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा	–	ख	ग	–	–	–	–	–
T-12-07	श्री रमेश चन्द्र गौतम, तहसीलदार	बाजपुर, ऊधमसिंह नगर	–	ख	ग	घ	–	छ	ज	–
T-12-08	श्री सुन्दर सिंह, तहसीलदार	ऊधमसिंह नगर	–	ख	–	–	–	छ	ज	–
T-12-09	सुश्री ऋचा सिंह, तहसीलदार	ऊधमसिंह नगर	–	ख	–	–	–	छ	–	–
T-12-10	श्री चतुर सिंह बिष्ट, तहसीलदार	पिथौरागढ़	–	ख	–	–	–	छ	ज	–
T-12-11	श्री मोहन सिंह बिष्ट, तहसीलदार	लालकुआँ, नैनीताल	क	ख	ग	घ	–	छ	ज	झ
T-12-12	श्री चतर लाल शाह, तहसीलदार	थराली, चमोली	क	–	ग	घ	–	छ	ज	–
T-12-13	श्री परमानन्द राम, तहसीलदार	बडकोट, उत्तरकाशी	–	ख	–	–	–	छ	ज	–
T-12-14	श्री अरूण कुमार सिंह, तहसीलदार	चम्पावत	क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ

विषय संकेत :

'क' क्रिमिनल लॉ एण्ड प्रोसीजर एवं क्रिमिनल केस

'ख' रेवेन्यू एण्ड रेन्ट लॉ एवं रेवेन्यू केस

'ग' रेवेन्यू मैन्युअल

'घ' हिन्दी : श्रुतिलेख, अनुवाद, रीडिंग

'च' ट्रेजरी प्रोसीजर एण्ड एकाउण्टस रूल्स

'छ' सिविल लॉ

'ज' एक्साइज

'झ' स्टाम्पस एण्ड कोर्ट फीस एक्टस

राजीव शाह,
संयुक्त निदेशक,
प्रशासन।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

कार्यालय–ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 228/अधि0/2012–13–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2, की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 884/XXX(2)/2012, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ में, श्री एन0एस0 नेगी, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त) द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

डा0 डी0 पी0 जोशी,
अध्यक्ष।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

19 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 4059/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूं।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खाये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)–6, वाणिज्य कर, देहरादून	(Form-C) 01	U.K.VAT/C-2009--0271100

NOTIFICATION

December 19, 2012

No. 4059/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2012-13/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed Form-C, enlisted below :

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that form-C, bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name and Address of Office	No. of Lost/Stolen/Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms
1.	Off. of the Dy. Commissioner (Assesment)-6, Commercial Tax, Dehradun	(Form-C) 01	U.K.VAT/C-2009--0271100

विज्ञप्ति

28 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 4132/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–एफ", जिनके खो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूं।

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री कोरस (इण्डिया) लि0, प्लॉट नं0 15, सैक्टर–2, आई0आई0ई0, पन्तनगर	(Form-F) 04	U.K.VAT.F-2005-D 028953 To 028956

सौजन्या,
आयुक्त कर,
देहरादून

NOTIFICATION

December 28, 2012

No. 4132/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2012-13/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost Form-F, enlisted below :

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that form-F, bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name and Address of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms
1.	M/s Koras (India) Ltd. Plot No. 15, Sector-2, I.I.E., Pantnagar	(Form-F) 04	U.K.VAT.F-2005-D 028953 to 028956

SOWJANYA,
Commissioner Tax,
Uttarakhand.

विज्ञप्ति

28 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 4181/आयु0कर,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र प्ररुप XVI/प्ररुप 11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये हुए फार्मों की संख्या	खोये हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-K2010/ 0005748, 0005602, 0005789
2.	सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, रामनगर, काशीपुर	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012/ 0298881
3.	सर्वश्री सलीम ब्रिक वर्क्स, काशीपुर	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0472713
4.	सर्वश्री मेटल एड्स, ई–41–42, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ब0बाद, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1339695
5.	सर्वश्री दि सिधा मेटल लि0, ई–52–53, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ब0बाद, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0869730
6.	सर्वश्री सीबीज किड्स स्टोर, काशीपुर	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0677034
7.	सर्वश्री रूद्रपुर सॉलवेन्ट प्रा0लि0, लालपुर किच्छा	प्ररुप–XVI (200)	U.K.VAT-K2010/ From 0517401 to 0517600
8.	सर्वश्री गर्ग ट्रेडर्स, लाल मन्दिर कालोनी, आर्यनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (03)	U.K.VAT-M2012/ From 0546424 to 0546426
9.	सर्वश्री ग्लोपेड प्रोडक्टस प्रा0लि0, डी–21, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल स्टेट पुहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1237025
10.	सर्वश्री कात्यानी पेपर मिल्स प्रा0लि0, काशीपुर	प्ररुप–XVI (17)	U.K.VAT-K2010/ 0232281, 0466531, 0693298, 0699461, 0466514, 0232407, 0466307, 0465715 U.K.VAT-M2012/ 0085380, 0085489, 0085490, 0085809, 0085707, 0085252,0085709, 0342305, 0085825
11.	सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, रामनगर रोड, काशीपुर	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012/ 0298713
12.	सर्वश्री यादव फूड्स लिमिटेड, किच्छा	प्ररुप–11 (01)	U.K.VAT-C-2009/ 071436

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल

कार्यालयादेश

13 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 3958/सा0प्र0/लाईसेंस–निरस्तीकरण/2012–श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री आर0 पी0 सिंह, निवासी पीलीभीत रोड, खटीमा, नैनीताल (वर्तमान में जिला ऊधमसिंह नगर), जो इस कार्यालय द्वारा जारी लाईसेंस संख्या ए–4106/के/86, जोकि हल्का व्यवसायिक वाहन संचालन हेतु दिनांक 03.03.1986 को जारी किया। उक्त लाईसेंस में दिनांक 26.03.1987 में भारी व्यवसायिक वाहन का पृष्ठांकन किया गया। जिसकी वैधता दिनांक 25.04.2012 तक थी। श्री अमरदीप सिंह ने अपने उक्त चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु दिनांक 10.09.2012 को इस कार्यालय में आवेदन किया, जिसके फलस्वरूप चालन अनुज्ञप्ति के बैकलॉग की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। बैकलॉग करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त चालन अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्मरूपण कर गलत चित्र के साथ कम्प्यूटर से पूर्व में जारी करवा लिया गया है, जिसे चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके 04/19860086453 जारी हो चुका है। प्रकरण की जाँच करने पर उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई।

अतः, मैं, राजीव कुमार मेहरा, लाईसेंसिंग अथॉरिटी, मोटर वाहन विभाग, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम, 1989 की धारा 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके 04/19860086453 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

राजीव कुमार मेहरा,
लाईसेंसिंग अथॉरिटी,
मोटर वाहन विभाग,
हल्द्वानी।

निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), आयुक्त कर भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रभार प्रमाण–पत्र

22 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 196 (10)एक–3(200)/नि0ले0प0/2012–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय आदेश संख्या 524/XXVII(6), दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के अनुपालन में, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 19.12.2012 के पूर्वान्ह में अपर निदेशक, ऑडिट निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

अवमुक्त अधिकारी

अमिता जोशी,
अपर निदेशक,
अवमोचक अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित

सौजन्या,
निदेशक,
ऑडिट उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रभार प्रमाण–पत्र

22 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 196 (10)एक–3(200)/नि0ले0प0/2012–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय आदेश संख्या 524/XXVII(6), दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के अनुपालन में, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 18.12.2012 के पूर्वान्ह में अपर निदेशक, ऑडिट निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

अवमुक्त अधिकारी

रमेश चन्द्र सेमवाल,
अपर निदेशक,
अवमोचक अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित

सौजन्या,
निदेशक,
ऑडिट उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कार्यालय, महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

21 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 1118 चार–59 (2012)–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा राज्य के उप निबन्धकों हेतु दिनांक 6.11.2012 से दिनांक 6.11.2012 की अवधि में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया।

विभागीय परीक्षा, 2012 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में, इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

क्रमांक	अनुक्रमांक	नाम	उत्तीर्ण किये गये विषय		
1.	SR/12/01	राम दत्त मिश्र	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
2.	SR/12/02	अविनाश कुमार	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
3.	SR/12/03	भावना कश्यप	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
4.	SR/12/04	वंशीधर उप्रेती	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
5.	SR/12/05	नन्द किशोर लोहिया	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
6.	SR/12/06	राजेन्द्र लाल	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3
7.	SR/12/07	शंकर सिंह नेगी	D Rg. 1	D Rg. 2	D Rg. 3

विषय संकेत (CODE) :

D Rg. 1 भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन मैनुअल,

D Rg. 2 स्टाम्प एक्ट तथा स्टाम्प मैनुअल,

D Rg. 3 प्रैक्टिकल इग्जामिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक्यूमेंट।

राजीव शाह,
संयुक्त निदेशक,
प्रशासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/96–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।